रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 352] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 15, 2013/माघ 26, 1934

No. 352] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 15, 2013/MAGHA 26, 1934

IndiaCode

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2013

का.आ. 379(अ).—केन्द्रीय सरकार, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का2) की धारा 6 और धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 32 की उपधारा (2) के खंड (ख) तथा खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

1. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1986 के नियम 6 और नियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"6 **अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य**-अध्यक्ष

(क) प्राधिकरण का समग्र प्रमुख होगा ;

(ख) प्राधिकरण के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा ।

7. **सचिव की शक्तियां और कर्तव्य**-सचिव

(क) प्राधिकरण के कार्यालय के कार्यकरण के लिए आकस्मिक व्यय, प्रदाय और सेवा तथा अपेक्षित वस्तुओं के क्रय के लिए मंजूरी देगा ;

(ख) प्राधिकरण की योजना स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा ;

(ग) ऐसी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा जो प्राधिकरण के सहज कार्यकरण के लिए आवश्यक हों ;

(घ) प्राधिकरण की ओर से अधिनियम के अधीन प्राप्त किए गए सभी धनों के लिए रसीद जारी करेगा ;

(ङ) प्राधिकरण के अधिवेशनों की कार्यवाहियों और उन अधिवेशनों में किए गए विनिश्चयों का समुचित अभिलेख रखेगा ;

(च) प्राधिकरण के कार्यकरण पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करने और उसे प्राधिकरण के अनुमोदन के पश्चात् केन्द्रीय सरकार को, केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व भेजने के लिए उत्तरदायी होगा ;

(छ) अधिनियम के अध्याय 3 के उपबंधों के अनुसरण में निर्यातकर्ताओं के रजिस्टर का समुचित अभिलेख रखेगा ;

(ज) प्राधिकरण की सभी बैठकों में उपस्थित होगा, और प्राधिकरण के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने में अध्यक्ष की सहायता करेगा ;

(झ) सचिव, प्राधिकरण के कृत्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए, प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को कर्तव्य समनुदेशित कर सकेगा ।

[फा. सं. 1/1/2008-ईपी (कृषि-IV]

अनुराग सक्सेना, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में का.आ.652(आ.) तारीख 3 सितंबर, 1986 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और संशोधित नियम निम्नलिखित अधिसूचना के द्वारा प्रकाशित किए गए, अर्थात् :--

1. का.आ.806(अ), तारीख 11 सितंबर, 1998
2. का.आ.238(अ), तारीख 22 फरवरी, 2005
3. का.आ.961(अ), तारीख 12 जून, 2007
4. का.आ.2835(अ), तारीख 3 दिसंबर, 2008

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2013

S.O. 379(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (2) of section 32 read with section 6 and sub-section (1) of section 7 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985 (2 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Rules, 1986 namely :-

(1) These rules may be called the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication, in the Official Gazette.

1. In the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Rules, 1986, for rules 6 and 7 the following rules shall be substituted, namely :-

"**6. Powers and duties of the Chairman-** The Chairman shall,

(a) be the overall Head of the Authority;.

(b) preside over the meetings of the Authority.

7. Powers and duties of the Secretary- The Secretary shall,

(a) sanction expenditure for contingencies, supplies and services and purchase of articles required for the working of the office of the Authority;

(b) be responsible for implementation of the Plan Schemes of the Authority;

(c) exercise such administrative and financial powers as may be necessary for the smooth functioning of the Authority;

(d) issue receipts on behalf of the Authority for all moneys received under the Act;

(e) maintain a proper record of the proceedings of the meetings of the Authority and decisions of those meetings;

(f) be responsible for preparation of draft Annual report on the working of the Authority and its submission to Central Government after approval by the Authority on a date not later than the date specified in this behalf by the Central Government;

(g) maintain a proper record of the register of exporters in accordance with the provisions of Chapter III of the Act;

(h) attend all the meetings of the Authority and assist Chairman in implementing the decisions of the Authority;

(i) the Secretary may, for the purpose of carrying out the functions of the Authority, assign duties to the officers and employees of the Authority.

[F. No. 1/1/2008-EP (Agri-IV)]
ANURAG SAXENA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Official Gazette *vide* S.O.652(E) dated the 3rd day of September, 1986 and the amendment rules were published by the following notifications, namely:-

1. S.O. 806(E), dated the 11th day of September, 1998
2. S.O. 238(E), dated the 22nd day of February, 2005.
3. S.O. 961(E), dated the 12th day of June, 2007
4. S.O. 2835(E), dated the 3rd December, 2008

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.